

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(8)नविवि/गोविन्दगढ/2023

जयपुर, दिनांक

22 JUN 2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उप नगर नियोजक, अलवर को गोविन्दगढ, अलवर के नगरीय क्षेत्र, जिसमें तहसील गोविन्दगढ के 09 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वेक्षण एवं क्षितिज वर्ष-2041 तक का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती हैं:-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1.	गोविन्दगढ	GOVINDGARH
2.	डावरी	DABRI
3.	रामबास	RAMBAS
4.	मस्तपुर	MASTPUR
5.	गंदीका	GANDEEKA
6.	बारोली	BAROLI
7.	पलानखेडा	PALANKHEDA
8.	कचरोटी	KACHROTI
9.	मुंडपुरी खुर्द	MUNDPURI KHURD

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संचिता बिश्नोई)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, अलवर।
6. मुख्य नगर नियोजक(एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।

7. उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र, अलवर।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गोविन्दगढ (जिला-अलवर)।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .06.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय